न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(पीठ)

1.निगरानी संख्या–08/2010–11

श्रीमती कुन्ती देवी आदि –बनाम– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून

2. निगरानी संख्या–97/2010–11

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून आदि –बनाम– श्री मदन आदि

अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

कोरम :

1.श्री सुनील कुमार मुट्टू, आई0ए0एस0,अध्यक्ष
2.श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)

प्रस्तुतकर्ता अधिवक्तागण :
अधिवक्ता श्रीमती कुन्ती देवी आदि : श्री एस0पी0 त्यागी।
अधिवक्ता राज्य सरकार : श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(राज0)

बावत
खसरा नम्बर–367/3 क्षेत्रफल 0.80एकड व खसरा नम्बर 367 मि0 क्षेत्रफल 0.60 एकड़ मौजा अटकफार्म, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून

निर्णय

उपरोक्त निगरानियाँ अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून द्वारा वाद संख्या–05/2008 धारा–198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित निर्णयादेश दिनांक 27–07–2009 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं एवं तद्नुसार एकीकृत रूप से निस्तारित की जा रही हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि:– श्री के0के0 बोहरा आदि पुत्र श्री आनन्द बोहरा, निवासी 7/1 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून के प्रार्थना पत्र दिनांक 04–03–1989 के आधार पर परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा जाँच की गई जिससे सम्बन्धित आख्या में अवगत कराया गया कि विपक्षी श्री भंगूराम पुत्र श्री सन्तराम निवासी प्रेमनगर, देहरादून को वर्ष 1973 में भूमि खसरा नम्बर–367/3 क्षेत्रफल 1.09 व खसरा नम्बर 367मि0 क्षेत्रफल 0.60 एकड़ भूमि स्थित ग्राम अटकफार्म, परगना पछवादून का पट्टा दिया गया था जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में श्री भंगूराम का नाम अंकित हो गया था। आख्या में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा जाँच किये जाने पर यह पाया गया कि विपक्षी श्री भंगूराम ग्राम अटकफार्म का मूल निवासी नहीं है और कथित पट्टे में काट–छाँट की गई है जिससे पट्टा सन्देह जनक लगता है। भंगूराम जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–198(1) के अन्तर्गत आवंटन हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। अतः धारा–198(4) के अन्तर्गत विपक्षी श्री भंगूराम का

पट्टा निरस्त किया जाये। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान अपर कलक्टर(प्रशासन), देहरादून ने पूर्वादेश दिनांक 17–01–92 को निगरानी/अपील में चुनौती दिए जाने पर प्रकरण पुनः अपर कलेक्टर को प्रतिप्रेषित किए जाने पर विद्वान अपर कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 27–07–2009 द्वारा यह धारित किया कि ग्राम अटकफार्म परगना पछवादून के भूमि खसरा नम्बर–367/3 मि0 क्षेत्रफल 0.80 एकड़ व खसरा नम्बर–367मि0 क्षेत्रफल 0.60 एकड़ भूमि कुल रकबा 1.40 एकड़ भूमि का आवंटन पूर्व की भाँति बहाल किया जाता है। विपक्षी भंगूराम पुत्र सन्तराम निवासी प्रेमनगर की मृत्यु हो चुकी है इसलिए विपक्षी के स्थान पर उपरोक्त भूमि पर उनके वारिस मदन, अमरजीत व अमरनाथ पुत्रगण स्व0 भंगूराम व श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री भंगूराम निवासी प्रेमनगर का नाम दर्ज हो। विद्वान अपर कलेक्टर(प्रशासन), देहरादून के निर्णयादेश दिनांक 27–07–2009 से क्षुब्ध होकर उपरोक्त निगरानियाँ निगरानीकर्तागण एवं राज्य सरकार की ओर से पृथक–पृथक योजित की गई हैं।

अधिवक्ता श्रीमती कुन्ती देवी के प्रार्थना पत्र दिनांक 09–05–2012 पर पीठ गठन हेतु अंकित आदेश से यह दोनों निगरानियाँ पीठ के सम्मुख सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गई। हमने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने तर्क दिया कि भंगूराम को कृषि भूमि वर्ष 1973 में आवंटित हुई थी एवं नामान्तरण वर्ष 1982 में किया गया। आवंटन के आधार पर भंगूराम का नाम अभिलेखों में दर्ज हो गया जबकि भूमि उपलब्ध ही नहीं थी। श्री के0के0 बोहरा ने इस सम्बन्ध में शिकायत की कि भंगूराम ग्राम का निवासी नहीं है और पट्टे में काट–छाँट की गई है। शिकायत के आधार पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–198 के अन्तर्गत कार्यवाही हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने तर्क दिया कि पट्टाधारक ग्राम का निवासी नहीं है और पट्टे में आवंटित भूमि उपलब्ध ही नहीं है। पट्टाधारक आवंटन का पात्र ही नहीं है। उनके अनुसार प्रश्नगत भूमि को आवंटन के लिए विधिवत कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि कोई अभिलेख इस सम्बन्ध में उपलब्ध ही नहीं है। पट्टे में काट–छाँट कर रकबा बढ़ाया गया है। खसरा नम्बर–367 में आवंटन हेतु कोई रकबा ही शेष नहीं था। आवंटित खसरा नम्बर–367 का कुल क्षेत्रफल 5.280 है0 बन्दोबस्त के अनुसार अंकित था जिसमें से 2.553 है0 भूमि संक्रमणीय अधिकार वाले खातेदारों की तथा 2.727 है0 भूमि श्रीमती शशि बाला के नाम श्रेणी–4 में अंकित थी। आवंटन के समय भूमि खाली न होने के कारण आवंटन अवैध है। भूमि धारा–194 के अन्तर्गत या अधिनियम के किसी प्राविधान के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आ गई हो तभी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरदाता/पट्टाधारक के बयान व जिरह से यह सिद्व है कि पट्टाधारक आवंटन के समय विलासपुर, हिमाचल प्रदेश का निवासी था जबकि अधीनस्थ न्यायालय में यह सिद्व किया गया था कि पट्टाधारक आवंटन के समय ग्राम का निवासी नहीं था। यह भी सिद्व था कि वह प्रेमनगर में निवास करता है व दर्जी का काम

करता है तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय में अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से यह सिद्व किया गया कि पट्टाधारक ग्राम शेरपुर में 2.82 एकड़ व ग्राम हसनपुर में 3.23 एकड़ भूमि का स्वामी था जिस कारण व आवंटन की पात्रता की श्रेणी में नहीं आता था। गवाहों ने भी अपने बयानों में कहा कि उन्होंने भंगूराम को कभी हल चलाते नहीं देखा। भंगूराम ने भी अपने बयान व जिरह में यह कहा है कि वह प्रेमनगर में रहता है और दर्जी का काम करता है। कथित आवंटन का कोई कार्यवाही रजिस्टर या प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। पट्टाधारक आवंटन का पात्र नहीं है और आवंटित भूमि की पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। अपने कथनों के समर्थन में जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने आर0डी0 1986 पृष्ठ 238, आर0डी0 1987 पृष्ठ 81, आर0डी0 1991 पृष्ठ 198, आर0डी0 1991 पृष्ठ 111, आर0डी0 2000 पृष्ठ 109, आर0डी0 2001 पृष्ठ 448, आर0डी0 2008 पृष्ठ 99, आर0डी0 2001 पृष्ठ 464, आर0डी0 2001 पृष्ठ 51, आर0डी0 2000 पृष्ठ 55, राजस्व निर्णय संग्रह 1995 पृष्ठ 143, आर0डी0 1989 पृष्ठ 9, आर0डी0 2001 पृष्ठ 61, आर0डी0 2000 पृष्ठ 299, आर0डी0 1999 पृष्ठ 701, आर0डी0 2001 पृष्ठ 133, राजस्व निर्णय संग्रह 2001 पृष्ठ 838 सुप्रीम कोर्ट, आर0डी0 1991 पृष्ठ 58, आर0डी0 1977 पृष्ठ 266, आर0डी0 2001 पृष्ठ 75, आर0डी0 2000 पृष्ठ 447 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की।

श्रीमती कुन्ती देवी आदि की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि श्रीमती कुन्ती देवी पट्टाधारक भंगूराम की पत्नी है जिनके तीन पुत्र हैं। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) की ओर से प्रस्तुत निगरानी में न तो कलेक्टर के न ही प्रधान के हस्ताक्षर हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता स्वंय निगरानी योजित करने के लिए सक्षम नहीं है। उनके अनुसार यह निगरानी तद्नुसार ग्राह्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मृतक भंगूराम को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए योगदान के तहत प्रोत्साहन स्वरूप पट्टा आवंटित हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार ने इतने विलम्ब से निगरानी क्यों प्रस्तुत की। राज्य सरकार की निगरानी कालबाधित है। पट्टाधारक को निर्गत नोटिस पर उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि कु0 शशिबाला का नाम खसरा संख्या–367/3 रकबा 6.74 पर गलत दर्ज हुआ था। मौके पर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध थी। निगरानीकर्ता संख्या–1 के पिता एवं निगरानीकर्ता संख्या–2 से 4 के स्व0 पिता भंगूराम ग्राम अटकफार्म के निवासी थे और गाँव के दर्जी थे जो ग्रामीण शिल्पकार की श्रेणी में आते थे और भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे। भूमि प्रबन्धक समिति ने भंगूराम को कृषि भूमि आवास का पात्र चयनित करके गांव सभा में निहित भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 2.50 एकड़ आवंटित किया था और परगनाधिकारी, देहरादून के अनुमोदन के बाद पट्टा दिनांक 24–04–1973 को जारी किया गया था। पट्टे की तस्दीक क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा की गई थी जिसके आधार पर निर्देशानुसार कागजात माल में पट्टेदार का नाम वर्ग–2 सीरदार की श्रेणी में न्यायालय नायब

तहसीलदार, देहरादून के आदेश से दर्ज हो गया था। फसली वर्ष 1387 से 1392 की खतौनी में फसली वर्ष 1388 में दर्ज हुआ और खसरे में उसका नाम खसरा संख्या–367/3 बटा एक पर दर्ज हुआ जो बाद में खतौनी और खसरे में दर्ज चलता रहा। फसली 1394 में श्रीमती गुरदेव कौर आदि के नाम की भूमि खसरा संख्या–367/1 रकबा 3 एकड अर्थात 1.214 है0 श्री के0के0 बोहरा पुत्र श्री कानचन्द बोहरा के नाम दर्ज हुआ। श्री के0के0 बोहरा ने अपने नाम की भूमि खसरा संख्या–367/1 के बजाय श्री भंगूराम के पट्टे एवं कब्जे की भूमि जो कि खसरा संख्या–367/3 की भूमि थी पर कब्जा करना चाहा और भूमि हड़पने की बदनीयति से परगनाधिकारी, देहरादून के न्यायालय में आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। अपर कलेक्टर, देहरादून ने निर्णयादेश दिनांक 17–01–92 पारित किया जिसके विरूद्व पट्टेदार भंगूराम ने निगरानी तथा राज्य सरकार ने अपील आयुक्त गढ़वाल मण्डल के न्यायालय में दायर की जिसकी सुनवाई अपर आयुक्त ने की जिसमें निर्णय दिनांक 04–02–94 पारित करके राजस्व परिषद को अपर कलेक्टर, देहरादून का आदेश दिनांक 17–01–92 को निरस्त करने हेतु राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश को संदर्भ किया। राजस्व परिषद ने प्रकरण पुनः जांच हेतु अपर कलेक्टर, देहरादून को प्रतिप्रेषित किया जिसके पश्चात अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून ने पूर्व पारित आदेशानुसार ही आदेश दिनांक 27–07–2009 पारित किया। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है और खण्डनीय है। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने 2006(24) एल0सी0डी0 पृष्ठ 1735 मा0 सुप्रीम कोर्ट, 2004(54) ए0एल0आर0 पृष्ठ 375, 1991 ए0एल0आर0 पृष्ठ 58, 2012(115) पृष्ठ 372, 2006(100) आर0डी0 पृष्ठ–21(एच), 1987 आर0डी0 पृष्ठ 450, 1982 आर0डी0 पृष्ठ 300 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की।

यह निर्विवादित है कि मृतक भंगू राम पुत्र श्री सन्तराम के पक्ष में वर्ष 1973 में विवादग्रस्त खसरा नम्बरान के कुल क्षेत्रफल में से 2.50 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। इस सम्बन्ध में पट्टा प्रमाण पत्र, जमींदारी विनाश फार्म संख्या–58 की मूल प्रति अति महत्वपूर्ण है जिसमें यद्यपि आवंटित नम्बरों के क्षेत्रफल के अंकन में अपर लेखन दिखाई देता है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह अपर लेखन प्रमाण पत्र जारी करने वाले द्वारा ही किया गया है अथवा बाद में। इस फार्म के पृष्ठ भाग में की गई पृष्ठांकन प्रविष्टि जो कि आवंटित की पुष्टि विषयक है लेखपाल, प्रधान, स्वंय आवंटी एवं नायब तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित हैं। इस पृष्ठांकन के पार्श्व में एक प्रविष्टि 163/10–3–82 12.50 एल0आर0 के रूप में अंकित है। यह भी निर्विवादित है कि उक्त आवंटन का नामान्तरण/अमल दरामद वर्ष 1982 में हुआ। आवंटन निरस्तीकरण नोटिस दिनांक 20–02–90 निर्गत किया गया। विद्वान अपर कलेक्टर ने अपने आक्षेपित निर्णयादेश दिनांक 27–07–2009 में यह अवधारित किया है कि आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही स्वप्रेरणा से नहीं योजित की गई अपितु ग्रामवासी एक व्यक्ति के0के0 बोहरा के प्रार्थना पत्र पर आरम्भ हुई है। अतः पट्टा आवंटन की कार्यवाही आवंटन के 17 वर्षों के

उपरान्त आरम्भ किए जाने के आधार पर कालबाधित है। तद्नुसार जारी नोटिस अवमुक्त माना गया। अभिलेखों के अवलोकन से भी आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही राजस्व अधिकारियों की स्वप्रेरणा से योजित कार्यवाही न होकर सम्बन्धित ग्रामवासियों एवं पूर्व में उल्लिखित व्यक्ति के0के0 बोहरा के परिवाद पत्र पर योजित हुई कार्यवाही है। अतः इसके दृष्टिगत निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा–198(6)(क) के अन्तर्गत कालबाधित है। यदि इस हेतु नामान्तरण/अमल दरामद की कार्यवाही वर्ष 1982 को ही संदर्भ वर्ष मानें तब भी प्रश्नगत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा–198(6)(ब) के अधीन कालबाधित है। हम इस सम्बन्ध में विद्वान अपर कलेक्टर, देहरादून के उल्लिखित मंतव्य से सहमत हैं।

जहाँ तक मूल आवंटी भंगूराम के उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निगरानी में आवंटित क्षेत्रफल में से मात्र 1.40 एकड़ भूमि का ही आवंटन बहाल किए जाने का प्रश्न है हम आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही के अपोषणीय एवं विधितः कालबाधित होने के आधार पर विद्वान अपर कलेक्टर के एतद् सम्बन्धी आदेशांश से कदापि सहमत नहीं हैं क्योंकि मूल आवंटन के फार्म में अपर लेखन दृष्य है, पर सिद्व नहीं है। यह भी सिद्व नहीं है कि अपर लेखन वास्तविक रूप से पट्टा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा किया गया है अथवा आवंटन के उपरान्त। विद्वान अपर कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में अपने पूर्ववर्ती अधिकारी द्वारा वर्ष 1992 में पारित एतद् सम्बन्धी आदेश पर अपना विश्वास अवलम्बित किया है जो कि अनुचित एवं अवैधानिक है क्योंकि उक्त आदेश निगरानी एवं उससे उपजे संदर्भ के अन्तर्गत खण्डित हो चुका है। किसी भी स्तर पर यह सिद्व नहीं है कि आवंटी एवं उसके उत्तराधिकारीगण द्वारा अपर लेखन कर आवंटित क्षेत्रफल बढ़ाया गया। जबकि वर्ष 1973 में प्रश्नगत भूमि आवंटित होने के उपरान्त वर्ष 1982 में उसका नामान्तरण/अमल दरामद किया गया जिसमें क्षेत्रफल की सीमा अपरिवर्तित है। यदि क्षेत्रफल अवैध रूप से बढ़ाये जाने का प्रकरण होता तो इन 09 वर्षों में उसका संज्ञान कैसे नहीं लिया जा सका जबकि पड़ताल में यह स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। यहाँ तक कि परिवाद करने वाले अथवा कथित रूप से वर्ग–4 में प्रविष्ट व्यक्ति भी इतनी लम्बी अवधि तक इस विषय पर चुप रहा एवं अन्ततः 1982 में 2.50 एकड़ क्षेत्रफल पर ही अमल दरामद किया गया। अतः हम विद्वान अपर कलेक्टर के द्वारा मृतक भंगूराम के नाम आवंटित भूमि के क्षेत्रफल 1.10 एकड़ को हटाये जाने सम्बन्धी विद्वान अपर कलेक्टर के आदेश से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह क्षेत्राधिकार के परे किया गया है एवं स्थिर रहने योग्य नहीं है। यह अवश्य है कि यदि राजस्व अधिकारियों को ऐसा लगता है कि वास्तव में आवंटन क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का अमल दरामद हुआ है तो ग्रामसभा अथवा कलेक्टर को कागजात दुरस्ती अथवा घोषणात्मक वाद योजित करने का अधिकार यथावत प्राप्त है। प्रश्नगत कार्यवाही में खतौनी में चढ़े हुए क्षेत्रफल को घटाने का अधिकार विद्वान अपर कलेक्टर को नहीं था।

प्रकरण में उल्लिखित एतद्विषयक विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टिगत उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उठाये गये अन्य तर्कों को यहाँ व्यवहरित करना आवश्यक नहीं समझते हैं और न ही उद्वरित न्यायिक दृष्टान्तों की विवेचना वर्णित किया जाना प्रासंगिक है। इतना अवश्य है कि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने इस प्रकरण में विस्तृत बहस प्रस्तुत की है एवं मूल आवंटी के ग्राम अटकफार्म का मूल निवासी न होने के आधार पर उसके आवंटन हेतु पात्र न होने, विवादित खसरा नम्बरान में आवंटन योग्य भूमि न होने, आवंटित भूमि कथित रूप से वर्ग–4 के अन्तर्गत शशि बाला पुत्री जंगबहादुर(जंगबहादुर सम्भवतया मूल जमींदार थे) नाम अंकित होना, आवंटन की कार्यवाही के अभिलेख उपलब्ध न होना, मूल आवंटी का भूमि पर कब्जा न होना इत्यादि कथन जोरशोर से प्रस्तुत किया है एवं यह भी जिज्ञासा की है कि वर्ग–4 के अन्तर्गत अंकित शशिबाला द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा कराये जाने के उपरान्त उसे उसके द्वारा अवधारित भूमि कहां से दी जायेगी। विद्वान अधिवक्ता की चिन्ता आश्चर्यजनक है। किसी भी अध्यासी के भूमिधरी अधिकार की घोषणा होने की स्थिति में उसके क्या परिणाम होंगे हमें इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मूल आवंटी के पात्र न होने का प्रश्न है धारा–194(6)(क)(ख) की वर्जना की दृष्टिगत उसका विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, परन्तु इस सम्बन्ध में धारा–198(एच) के अन्तर्गत कई श्रेणियां कमानुसार पात्रता में आती हैं यद्यपि यह कहीं भी सत्यापित नहीं है कि मूल आवंटी न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत निवासित था अथवा नहीं। जहां तक मूल आवंटी के मूल रूप से हिमाचल से देहरादून में आकर बस जाने का प्रश्न है यह सर्वविदित है कि देहरादून घाटी में देश के भिन्न भागों से लोग आकर बसे हैं एवं ऐसे लोगों द्वारा सम्पत्तियां अर्जित की गई हैं। हिमाचली मूल के लोगों की एक अच्छी तादात इस घाटी में विद्यमान है। जहां तक राज्य सरकार की ओर से निगरानी सक्षम न होने सम्बन्धी मूल आवंटी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का प्रश्न है, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है एवं चूंकि जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) सरकार एवं कलेक्टर की ओर से पैरवी करने के लिए अधिकृत हैं और उन्हीं के द्वारा ही अवर न्यायालय में पैरवी की गई है एवं अपील/निगरानी मूल कार्यवाही का ही विस्तार होने के दृष्टिगत सरकार की ओर से योजित निगरानी अक्षम नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या–97/2010–11 सरकार बनाम श्री मदन आदि निरस्त होने योग्य है तथा निगरानी संख्या–08/2010–11 श्रीमती कुन्ती देवी आदि बनाम सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून स्वीकार होने योग्य है जबकि अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून के आदेश का वह अंश जिसके द्वारा मूल आवंटित क्षेत्रफल में से 1.10 एकड़ राज्य सरकार के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया गया है वह खण्डित होने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या–97/2010–11 सरकार बनाम श्री मदन आदि निरस्त की जाती है तथा निगरानी संख्या–08/2010–11 श्रीमती कुन्ती देवी आदि बनाम सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून स्वीकार कर विद्वान अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून के आदेश का वह अंश जिसके द्वारा मूल आवंटित क्षेत्रफल में से 1.10 एकड़ राज्य सरकार के पक्ष में प्रत्यावर्तित किया गया है वह खण्डित किया जाता है तथा मूल आवंटन पट्टा बहाल किया जाता है।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 27–1–2015 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।